(वाद सं0–640/4/26/2022)

27.06.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, देवेन्ती गुप्ता, द्वारा गोद लिये गये तथाकथित पुत्र देवांशु तथा उसकी महिला साथी, खुशबु कुमारी, द्वारा परिवादी को अनावश्यक रूप से धमकी देने व परेशान करने से संबंधित है।

उक्त पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित पुलिस उपाधीक्षक, नगर, पटना तथा थानाध्यक्ष पीरबहोर थाना के प्रतिवेदनानुसार ''जांच के क्रम में परिवादी, देवेन्ती गुप्ता, पति–श्री प्रेमनाथ गुप्ता, पता–बिहारी साव लेन, मुरदपुर, थाना–पीरबहोर, जिला–पटना ने मौखिक तथा लिखित रूप में बतायी कि वे अपने पुत्र, देवांशु देव एवं पुत्रवधु, खुशबु गोस्वामी के व्यवहार से दुःखी होकर तथा आवेश में आकर बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के मेल पर उनलोगों के द्वारा परेशान करने के संबंध में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करायी थी, परन्तु पारिवारिक हस्तक्षेप एवं समाजिक प्रयास से अब इनके पुत्र एवं पुत्रवधु का व्यवहार समान्य है। पारिवारिक महौल अभी शांत है एवं वर्त्तमान में वे दोनों इनसे अलग डेरा लेकर शांतिपूर्वक रहते है। ये नहीं चाहते है कि किसी भी तरह का निरोधात्मक या कानूनी कार्रवाई इनके पुत्र, देवांशु देव एवं पुत्रवधु, खुशबु के विरूद्ध की जाय, क्योकि निरोधात्मक कार्रवाई करने से पुनः परिवार में तनाव व्याप्त हो जायेगा। परिवादी, देवेन्ती गुप्ता के द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनकी आवेदन की जांच को यहीं विराम देते हुए बिना किसी कार्रवाई के समाप्त किया जाय।''

अब, जबकि पुलिस प्रतिवेदनानुसार परिवादी के तथाकथित गोद लिये गये पुत्र व उसकी महिला साथी परिवादी से अलग से रह रही है तथा अब उसके बीच कोई विवाद नहीं रह गया है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले के संबंध में राज्य आयोग के स्तर से अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रतिवेदन (पृ0–08–05/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक